उत्तर प्रदेश शासन

भाषा (उर्दू) अनुभाग-4

संख्या-1/2015/38/इक्कीस-उर्दू-4-2015-38/आडिट कमेटी/2015

लखनऊः दिनांक 09 मार्च] 2015

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित महत्वपूर्ण आडिट आपत्तियों तथा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों में की गयी संस्तुतियों पर कार्यान्वयन आख्याओं के प्रेषण तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों/प्रस्तावित ड्राफ्ट के महत्वपूर्ण प्रस्तरों का निस्तारण करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित आडिट कमेटी का गठन किया जाता हैः-

1	सचिव/प्रमुख सचिव, भाषा	अध्यक्ष
2	संयुक्त सचिव/विशेष सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7 के प्रभारी	सदस्य
3	महालेखाकार (लेखा परीक्षा)(प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0 इलाहाबाद के प्रतिनिधि	सदस्य सदस्य

उक्त आडिट कमेटी के समक्ष वही महत्वपूर्ण लेखा आपत्तिया विचारार्थ ली जायेगी जिनका निस्तारण वरिष्ट उप महालेखाकार/उप महालेखाकार व विभागाध्यक्षों तथा भाषा विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव व महालेखाकार के मध्य हुये विचार विमर्श के उपरान्त भी न हुआ हो।

2- उक्त आडिट कमेटी की नियमित बैठक प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार आयोजित की जाय।

शैलेश कृष्ण

प्रमुख सचिव

संख्या-1/2015/38(1)/इक्कीस-उर्दू-4-2015-38/आडिट कमेटी/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 महालेखाकार (लेखा परीक्षा)(प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0 इलाहाबाद को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के अर्द्धशा0 पत्र सं0-वि0आ0प्र0(सि0/रे0)91/दस-10(135)2001 टी0सी0, दिनांक 16 फरवरी, 2015 के क्रम में सूचनार्थ।

2 सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

http://shasanadesh.up.nic.in

3 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के उनके अर्द्धशा0 पत्र सं0-वि0आ0प्र0(सि0/रे0)91/दस-10(135)2001 टी0सी0, दिनांक 16 फरवरी, 2015 के क्रम में सूचनार्थ।

4 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, भाषा के सूचनार्थ।

5 वित्त आडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवेन्यू) के अर्द्धशा0 पत्र सं0-वि0आ0प्र0(सि0/रे0) 91/दस-10(135)2001 टी0सी0, दिनांक 16 फरवरी, 2015 के क्रम में सूचनार्थ।

6 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बृजेश चन्द्र)
अनुसचिव (भाषा)

http://shasanadesh.up.nic.in